हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
आज यह पत्रावली लोक अदालत/कैम्प मोटीजाटोली (चकान पर) पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण द्वारा हाल ख०नं० 1397 रकबा 0.20 हैक्टेयर स्थित ग्राम जाटोली (चकान पर) से प्रतिवादी का नाम कटवाकर स्वयं को खातेदार कृषक घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा है। वादी द्वारा वाद ग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1667, 1668 क्रमशः रकबा 12 बिस्वा व 18 बिस्वा कित्ता 2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा से हाल खसरा नम्बर 1397/0.20 हे० बनना अंकित करते हुए उसे तत्कालीन खातेदार हरि? से वर्ष 1990 में क्रय करना अंकित किया है। वादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में मौखिक बयानात है और नहीं किसी बैनामा 1990 को पेश नहीं किया है जिससे वादी का ऐसी साक्ष्य को पेश किया है जिससे वादी का कब्जा काश्त वाद ग्रस्त आराजी पर प्रमाणित होता हो। इसके विपरीत वाद ग्रस्त आराजी हाल ख०नं० 1397/0.20 हे० पर प्रतिवादी शिशुपाल अभिलिखित खातेदार अंकित है। जब तक कोई प्रतिकूल साक्ष्य नहीं हो अभिलिखित खातेदार के कब्जे काश्त की अवधारणा की जाती है। उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः आदेश है कि दावा वादीगण खारिज किया जाता है। खर्चा फरीकैन जायक हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द. हो। अध्यक्ष लोक अदालत सहायक कलक्टर भरतपुर	